

संख्या-1982/एक-10-2021-33(8)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सेनानायक
राज्य आपदा मोचन बल
उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक-04/01/2022

विषय:- राज्य आपदा मोचन बल, लखनऊ की तीन (03) अतिरिक्त कम्पनियों को आधुनिक विशेषकृत उपकरणों आदि से सुसज्जित किये जाने तथा आपदा के दौरान बचाव, राहत एवं प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु विशेषकृत उपकरणों/वाहनों आदि के क्रयार्थ **राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा ई-आफिस पर अग्रसारित, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या- उ०प्र०को०-18-ख(पीएसी/एसडीआरएफ) /2021 दिनांक 23.06.2021 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी के पत्र दिनांक 20.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 16.07.2019 एवं 08.08.2019 द्वारा द्वितीय चरण में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की स्वीकृति 03 अतिरिक्त कम्पनियों हेतु आवश्यकता के दृष्टिगत विशेषकृत उपकरणों/वाहनों आदि के क्रयार्थ राज्य आपदा मोचक निधि से ₹0 70,29,33,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 06.10.2021 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार राज्य आपदा मोचन बल की स्वीकृत 03 अतिरिक्त कम्पनियों हेतु उपकरणों/वाहनों के क्रय हेतु अपेक्षित धनराशि ₹0 70,29,32,877/- (₹0 सत्तर करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- CSSR EQUIPMENTS

(धनराशि

₹0 में)

क्र०	उपकरण का नाम	संख्या	दर	कुल व्ययभार
1	2	3	4	5

[illegible]

(रु० सत्तर करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि

का उपयोग किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। गृह विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

(2) वही उपकरण क्रय किये जायेंगे जो मानको के अनुसार उपयुक्त एवं आवश्यक हों तथा उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेंगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹0 70,29,32,877/- (₹0 सत्तर करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट

डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 04-01-2022 16:07:26
Reason: (मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1982(1)/एक-10-2021-33(8)/2021, तदिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ०प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 10- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-06/01/2022

प्रेषण संख्या:- 1982
आवंटन आदेश संख्या:- 171-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2563-सेनानायक आपदा मोचन बल , लखनऊ-02-एसडीआरएफ	वर्तमान प्रगामी	702932877 712457537	702932877 712457537
	योग	वर्तमान प्रगामी	702932877 712457537	702932877 712457537

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तर करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ सतहत्तर

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तर करोड़ चौबीस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ सैंतीस


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।